

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019-20

दिनांक : 18.03.2020

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक(मुख्यालय),

विषय : शालादर्पण पोर्टल के छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के Pass Order को Unlock करवाने के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा बनाए जाने वाले Pass Order Lock करने के पश्चात् कुछ विद्यार्थियों के बैंक खाते अथवा IFSC Code Incorrect होने की स्थिति में Pass Order को Unlock करवाया जाना होता है। इनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर अनिवार्यतः इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। Pass Order को Unlock करवाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि Pay Manager पर Data Save नहीं किया है या ट्रेजरी में बिल भिजवाए नहीं हैं, उसके बाद ही Unlock करवाने हेतु निदेशालय को PDF की हस्ताक्षरित रिपोर्ट एवं Excel रिपोर्ट निदेशालय के ई-मेल पते deo.schohar.dse@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके कार्यालय द्वारा गलत तरीके से Pass Order को Unlock करवाने हेतु निदेशालय को प्रेषित किये जाने के कारण भविष्य में उन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या/विसंगति उत्पन्न होती है तो इसके लिए आप का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर छात्रवृत्ति की देयता की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

क्र. सं.	जिला	योजना का नाम	रेफरेन्स नम्बर	विद्यार्थी का नाम एवं क्रम संख्या	बैंक खाता संख्या	बिल नहीं बनने का कारण	आई.एफ.एस. सी.कोड	विशेष विवरण

Pass order unlock करवाने की अनुशंसा भेजते समय जिन छात्रों की IFSC Code Incorrect हैं उन छात्रों की Pass Order में क्रम संख्या नोट करके रखें तथा Unlock होने के पश्चात् उन क्रम संख्या के विद्यार्थियों को Pass Order से हटाने की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें।


इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

www.rajteachers.com


प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तकनीकी-निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर
2. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) को उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने बाबत।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान को सूचनार्थ।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर